भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 587

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

उत्तराखंड में सिल्क्यारा सुरंग का ढहना

587. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में सिल्क्यारा सुरंग के ढहने के कारणों की जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सुरंग के भीतर फंसे कामगारों को मुआवजा दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पुल के ढहने के लिए जिम्मेदार दोषी ठेकेदारों/कंपनियों और अधिकारियों के विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चार चाम परियोजना के भाग के रुप में सड़क और /अथवा पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) उत्तराखंड में रारा-134 पर सिल्क्यारा सुरंग के ढहने के कारणों की जांच के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। समिति ने 22.12.2023 को मंत्रालय को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) वित्तीय सहायता के रूप में, सुरंग के अंदर फंसे प्रत्येक श्रमिक को ठेकेदार द्वारा 2 माह का बोनस और वेतन के अलावा 2 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अलावा, उत्तराखंड सरकार ने भी सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा ठेकेदार, प्राधिकरण के अभियंता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता और परियोजना की देखरेख करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों की समिति की अंतिम

सिफारिशों के आधार पर दोषी ठेकेदारों/कंपनी और सुरंग ढहने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, केंद्रीय मृदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी आदि शामिल हैं, जिन्हें संपूर्ण हिमालयी घाटियों पर चारधाम परियोजनाओं के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (ईआईए)/त्वरित ईआईए करने के निर्देश देने का दायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, एचपीसी के निर्देशों को कार्यान्वित किया जाता है।

*****